APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट सरेरी

श्रीमति मोवनी बेवा सोहन लाल कुमावत, निवासी – सरेरी बनाम उगमा पिता किशना गुर्जर निवासी– सरेरी

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92 ए. रा.टी.ए. प्रकरण संख्या– 43/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट सरेरी पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे । वकील वादी के द्वारा प्रकरण का निस्तारण केम्प कोर्ट में करवाये जाने की इस्तदुआ करने पर वकील वादी की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या– 1 से 4 के पिता किशना पिता रामा गुर्जर के नाम दर्ज थी। किशना की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 व उसकी बेवा तुलसी के नाम खुला था। वकील वादी का यह भी कथन था कि खातेदार किशना ने मृत्यु से पूर्व आराजी नम्बर– 542 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि का विक्रय वादीगण के पिता सोहन पुत्र ज्वारा कुमावत को कर दिया था। तथा वक्त खरीद कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। उसके उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या– 6 ने वादीगण के पिता के नाम नामान्तकरण नही खोल आराजी को किशना गुर्जर के नाम पर व उसकी मृत्यु के बाद उनके वारिसानों के नाम दर्ज करने से किशना के वारिस प्रतिवादी संख्या– 3 गोपाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 4 मांगी ने अपने हिस्से में से 1/48वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या– 5 माया देवी को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण भी खुल चूका है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी मुतदाविया में से 10 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवायी जावें। मैनें वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत्	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

2031–2034 मौजा सरेरी तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 542 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा भूमि किशना पिता रामा गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा सरेरी के अनुसार विवादित आराजीयात 542 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ उगमा, नन्दा, गोपाल पिता किशना, तुलसी बेवा किशना गुर्जर साकिन देह के नाम तथा विरासत से तुलसी के बजाय उगमा, नन्दा, गोपाल पिता किशना, मांगी पुत्री किशना का नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा जरिये नामान्तकरण संख्या– 1723 दिनांक 21.10.2016 विक्रय से गोपाल पिता किशना का सम्पूर्ण हिस्सा व मांगी के हिस्से में से 1/48वॉ हिस्सा माया देवी पत्नि दिनेश गुर्जर हिस्सा 16/48 साकिन भवानीपुरा के नाम दर्ज होना व मांगी पुत्री किशना 2/48 हिस्सा बदस्तूर होना प्रकट आया है।

यहॉ वादीगण का कथन है कि उसके पिता सोहन लाल ने मृतक खातेदार किशना से आराजी नम्बर– 542 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से 10 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.1974 की प्रमाणित प्रति पेश की है। जिस अनुसार किशना पिता रामा गुर्जर निवासी सरेरी के द्वारा मौजा सरेरी की आराजी नम्बर– 542 रकबा 10 बिस्वा भूमि 200/– रु. में सोहन पिता ज्वारा कुमावत निवासी सरेरी को विक्रय किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया जाना प्रकट आया है। चुँकि विक्रय पत्र आज भी प्रभावी है, किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त किया गया हो , इस बाबत कोई साक्ष्य भी पत्रावली उपलब्ध नही है। वादग्रस्त भूमि के विक्रेता किशना की मृत्यु हो जाने से किशना की विरासत से भूमि उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या–1 से 4 के नाम दर्ज हो चूकी है। तथा किशना के पुत्र गोपाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 4 मांगी ने अपने निहित हिस्से में से 1/48वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या– 5 माया देवी को विक्रय किया जा चूका है। तथा राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज हो चूका है । ऐसी स्थिति में न्यायालय दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश सूनाया जाना मुनासिब समझता है कि –

"निर्णय"

दावा डिक्री किया जाकर मौजा सरेरी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 542 रकबा 05 बीघा 02

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

बिस्वा भूमि के खातेदार उगमा, नन्दा पिता किशना के हक हिस्से में से 06 बिस्वा भूमि, माया देवी पत्नि दिनेश गुर्जर में से 03 बिस्वा भूमि तथा मांगी पुत्री किशना गुर्जर के हक हिस्से में से 01 बिस्वा भूमि कुल 10 बिस्वा भूमि कम की जाकर उक्त 10 बिस्वा भूमि के लिये वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण की उक्त 10 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलन्दाजी करने कराने से रुके रहे । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को केम्प कोर्ट सरेरी पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner